बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांकः स्था0 02/02-02/2016/......18........ /पटना, दिनांक......24-08-17.........

प्रेषक,

पूनम (भा०प्र०से०),

निदेशक।

सेवा में,

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, जहानाबाद, अरवल, बेगूसराय, खगड़िया, लखिसराय, शेखपुरा, भागलपुर, बांका, पूर्णियाँ, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण एवं वैशाली।

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में मुख्य शीर्ष 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय उपशीर्ष 0001 सामान्य सांख्यिकी का संग्रह शीर्ष के अन्तर्गत कुल राशि ₹ 15080000/-(एक करोड़ पच्चास लाख अस्सी हजार) रुपये मात्र का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-428/वि० दिनांक-31.03.17 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2017 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 31.03.2017 को स्वीकृति प्रदान की जा चूकी है।

2. उक्त पत्र के कंडिका 3 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रावधानित राशि की सीमा तक व्यय किया जा सकता है।

3. तदनुसार उक्त पत्र के कंडिका-3 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है ।

4. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 111- जन्म-मृत्यु सांख्यिकी, 0001-सामान्य सांख्यिकी का संग्रह शीर्ष के अंतर्गत आवंटित की जा रही है, **जिसका मांग सं0-35 एवं विपत्र कोड-35-3454021110001** है।

5. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 से 22 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे ।

6. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है । साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं।

7. प्रत्येक परिस्थिति में मद्वार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय । इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

8. व्यय का मासिक प्रतिवेदन अनुवर्ती माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रुप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होगें।

6

9. व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं मद में आवंटित राशि का भुगतान वाह्यस्त्रोत (ब्राईट इन्टलीजेन्स सिक्युरिटीज सर्विसेज पटना) से निदेशालय/मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वीकृत बल के विरुद्ध सेवा प्राप्त कार्यालय परिचारी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में बेल्ट्रॉन से सेवा प्राप्त कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के पारिश्रमिक/मानदेय भुगतान पर किया जाना है।

10. कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा (NILET) में उत्तीर्ण पदाधिकारियों/कर्मियों के द्वारा भुगतान की गई प्रशिक्षण शुल्क/शुल्क का नियमानुसार भुगतान प्रशिक्षण व्यय मद में आवंटित राशि से किया जाना सुनिश्चित करेगें।

11. वित्त विभाग के ज्ञापांक 599 दिनांक 07.07.2010 के आलोक में वेतन एवं भत्ते से संबंधित विषय शीर्षों -01-01 से 01-07 में यदि किसी विषय शीर्ष में कम राशि प्रावधानित/आवंटित है तो जिस विषय शीर्ष में अधिक राशि प्रावधानित आवंटित है, में से घटाते हुए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार राशि की निकासी की जा सकती है।

12. आवंटित राशि को नियमानुसार व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।

विश्वासभाजन

23/8/17   23-8-17   23/8/17   24/8/17

बजट सहायक   प्रशाखा पदाधिकारी   सहायक निदेशक   निदेशक

ज्ञापांक ......18....../पटना, दिनांक ......24/08/17......

प्रतिलिपि: 1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/8/17

23/8/17   निदेशक

ज्ञापांक ......18....../पटना, दिनांक ......24.08.17......

प्रतिलिपि: 1. संबंधित सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/8/17

23/8/17   निदेशक

ज्ञापांक ......18....../पटना, दिनांक......24.08.17......

प्रतिलिपि: 1. योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)।

2. वरीय संयुक्त निदेशक /सभी उप निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।

3. कार्यालय लेखापाल (दो प्रतियों में)/श्री शशि रंजन सिन्हा, कार्यालय परिचारी (गार्ड फाईल) में चिपकाने हेतु एवं निर्गत प्रशाखा को निर्गत करने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, कनीय सांख्यिकी सहायक, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन आदेश को सभी संबंधितों के ई-मेल पर प्रेषित करते हुए निदेशालय के वेवसाइट पर अपलोड करना/कराना सुनिश्चित करें।

24/8/17

निदेशक

23/8/17

आवंटन विवरणी

मुख्य शीर्ष 3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 111-जन्म-मृत्यु सांख्यिकी, उप शीर्ष- 0001- सामान्य सांख्यिकी का संग्रह शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 का आवंटन विवरणी । मांग सं0 35 एवं विपत्र कोड-**35-3454021110001**

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	01-01 वेतन	01-03 जीवन यापन भत्ता	01-04 मकान किराया भत्ता	01-05 परिवहन भत्ता	01-06 चिकित्सा भत्ता	योग- वेतन एवं भत्ते	06-01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	11-01 यात्रा व्यय	13-04 विद्युत प्रभार	13-06 वर्दी/ पोशाक	20-03 प्रशिक्षण व्यय	28-02 व्यवसायिक सेवाएं/ संविदा सेवाएं	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
जिला सांख्यिकी कार्यालय														0
1	पटना	700000	200000	300000	24000	3600	1227600	-	6000	70000	-	5000	215000	1523600
2	नालन्दा	400000	300000	40000	-	600	740600	-	15000	-	3000	-	45000	803600
3	भोजपुर	334000	448000	95700	-	-	877700	-	30000	-	-	-	28000	935700
4	रोहतास	300000	150000	20000	-	2400	472400	-	6000	-	-	-	230000	708400
5	जहानाबाद	-	-	-	-	-	0	-	6000	-	-	-	128000	134000
6	अरबल	-	-	-	-	-	0	-	6000	-	-	-	65000	71000
7	बेगूसराय	180000	-	18000	-	2000	200000	-	6000	-	-	-	158000	364000
8	खगड़िया	800000	400000	101000		2400	1303400	-	15000	-	-	-	65000	1383400
9	लखीसराय	-	-	-	-	-	0	-	6000	-	-	-	84000	90000
10	शेखपुरा	500000	250000	126000	-	2600	878600	-	6000	-	-	-	190000	1074600
11	भागलपुर	400000	-	24000	-	1200	425200	-	6000	-	-	-	44000	475200
12	बांका	320000	150000	15000	5000	1200	491200	-	6000	-	-	-	-	497200
13	पूर्णियाँ	-	-	-	-	-	0	-	17000	100000	-	-	-	117000
14	किशनगंज	-	-	-	-	-	0	-	6000	-	-	-	160000	166000
15	सहरसा	600000	200000	57000	-	2400	859400	-	20000	-	-	-	65000	944400
16	सुपौल	603000	300000	50300	-	2400	955700	-	6000	-	-	-	-	961700

23/8/17

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	01-01 वेतन	01-03 जीवन यापन भत्ता	01-04 मकान किराया भत्ता	01-05 परिवहन भत्ता	01-06 चिकित्सा भत्ता	योग- वेतन एवं भत्ते	06-01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	11-01 यात्रा व्यय	13-04 विद्युत प्रभार	13-06 वर्दी/ पोशाक	20-03 प्रशिक्षण व्यय	28-02 व्यवसायिक सेवाएं/ संविदा सेवाएं	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	मधेपुरा	-	-	-	-	-	0	-	6000	-	-	-	46000	52000
18	दरभंगा	-	-	-	-	-	0	-	25000	-	-	-	-	25000
19	सीतामढ़ी	300000	150000	25000	-	2400	477400	-	6000	-	-	-	-	483400
20	पूर्वी० चम्पारण	800000	200000	171000	-	3000	1174000	-	30000	-	-	-	-	1204000
21	प० चम्पारण	800000	700000	112500	-	3600	1616100	-	15000	-	-	-	60000	1691100
22	वैशाली	800000	400000	117500	-	1200	1318700	-	6000	-	-	-	50000	1374700
		7837000	3848000	1273000	29000	31000	13018000	-	251000	170000	3000	5000	1633000	15080000

(एक करोड़ पच्चास लाख अस्सी हजार) रुपये मात्र।

बजट सहायक

प्रशाखा पदाधिकारी

सहायक निदेशक

निदेशक
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

पत्र सं0-व0-5/बी0एस0जी0-11/2005/. ..../वि0(2)

बिहार सरकार,

वित्त विभाग ।

पटना, दिनांक

प्रेषक,

मिहिर कुमार सिंह,
सचिव (व्यय)

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार, पटना ।

विषयः- वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं आने वाले वित्तीय वर्षो के आय-व्ययक में वेतन की विषय शीर्षो में उपबंधित राशि का घट-बढ़ होने पर उसका परिमार्जन करने के संबंध में ।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2010-11 के बजट प्राक्कलन में वेतन एवं भत्ते के अधीन विभिन्न विषय शीर्षो में विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर अलग-अलग राशि बजट पुस्तिका में कर्णांकित की गयी है । सभी विषय शीर्षो का योग वेतन एवं भत्ते मद में सन्निहित होता है । ऐसी संभावना है कि कुछ उप शीर्षो में सूचना के अभाव में देय भत्तों को अलग-अलग चिन्हित नही किया जा सका हो या वेतन के किसी विषय शीर्ष/मद में राशि का कम या अधिक प्रावधान कराया गया हो । ऐसी दशा में जिन विषय शीर्षो में राशि कम पड़ रहा हो वहां वेतन एवं उनकी अन्य विषय शीर्षो जहां राशि अधिक उपबंधित हो में से लेकर सामंजन करने के संबंध में विचार किया गया ।

2. विचारोपरांत सरकार ने निर्णय लिया है कि अगर किसी उपशीर्ष में वेतन की किसी विषय शीर्ष/मद में राशि का प्रावधान नही कराया जा सका है अथवा कम प्रावधान कराया गया है तो उक्त भत्ते के लिए बजट में प्रावधानित वेतन मद की राशि अथवा वेतन का ऐसा अन्य विषय शीर्ष जिसमें अधिक राशि का प्रावधान है, में से पहले एवं बाद विषय शीर्ष जहाँ राशि की आवश्यकता है का आवंटन किया जाय । वेतन एवं उनके देय भत्ते को वेतन विषय शीर्ष 01-01 से 01-07 तक में माना गया है । अतएव इन विषय शीर्षो (01-01 से 01-07 तक) में उपबंधित राशि के विनियम के लिए पुनर्विनियोग की आवश्यकता नही है ।

3. अगर किसी कारणवश आवंटन देने वाले पदाधिकारी द्वारा ऐसा नही किया जा सका हो तो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिन्हें आवंटन प्राप्त हुआ है, का दायित्व है कि विपत्रों को कोषागार में प्रेषित करने के पूर्व आवश्यकतानुसार वेतन एवं उनके भत्तों के लिए अलग-अलग विषय शीर्ष में राशि को कर्णांकित करने के तत्पश्चात विपत्र में आवश्यक उल्लेख कर लिया जाय ।

4. यह प्रावधान वित्तीय वर्ष-2010-11 एवं आने वाले वित्तीय वर्षो में भी लागू रहेगा ।

विश्वासभाजन,

ह0/

(मिहिर कुमार सिंह)

सचिव (व्यय) ।

ज्ञापांक-......................../वि0 (2) पटना, दिनांक-......................./

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(मिहिर कुमार सिंह)

सचिव (व्यय) ।

ज्ञापांक-....................../वि0, (2) पटना, दिनांक-......................./

प्रतिलिपि-महामहिम राज्यपाल के सचिव/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना/आरक्षी महानिदेशक, बिहार पटना/ सचिव, बिहार विधानसभा/सचिव, बिहार विधान परिषद/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, राज्य पार्षद/राज्य सूचना आयोग के सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विकास आयुक्त के सचिव/लोकायुक्त के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(मिहिर कुमार सिंह)

सचिव (व्यय) ।

ज्ञापांक-......................./वि0, (2) पटना, दिनांक-......................./

प्रतिलिपिः- अध्यक्ष बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
(मिहिर कुमार सिंह)
सचिव (व्यय) ।

ज्ञापांक-......................./वि0, (2) पटना, दिनांक-......................./

प्रतिलिपिः-महानिदेशक अभियोजना निदेशालय, गृह विभाग/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय/निदेशक, समाजिक सुरक्षा निदेशालय, निदेशक, श्रम निदेशालय, श्रम संसाधन विभाग/निदेशक पुरातत्व निदेशालय/निदेशक संग्रहालय निदेशालय, कला संस्कृति एवं युवा विभाग/निदेशक, गव्य निदेशालय/निदेशक, मत्स्य निदेशालय/निदेशक, पशुपालन निदेशालय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/निदेशक, जन शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, उच्च शिक्षा/निदेशक शोध एवं प्रशिक्षण/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग/निदेशक, कृषि निदेशालय, कृषि विभाग/ निदेशक, चकबंदी/निदेशक, भू-अर्जन निदेशालय/निदेशक, सर्वे निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय/निदेशक, अभिलेखागार/निदेशक, भू संरक्षण/निदेशक, देशी चिकित्सा/निदेशक, प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार/सचिव, वाणिज्य-कर न्यायाधिकरण/उप सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय/मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त अंकेक्षण विभाग/निदेशक, प्रेस एवं स्टेशनरी/संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन/वित्त विभाग के सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव, अवर सचिव/प्रधान सचिव के सचिव/सचिव (व्यय)/संसाधन के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
(मिहिर कुमार सिंह)
सचिव (व्यय) ।

ज्ञापांक-599/वि0, (2) पटना, दिनांक-7.7.2010/

प्रतिलिपि स0 ब0 नियंत्रक/बजट शाखा के सभी लेखा पदाधिकारी एवं सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(मिहिर कुमार सिंह)
सचिव (व्यय) ।
06/07